



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 03.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 02 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष के कारावास एवं 7,500-7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1. रमनदीप उर्फ सन्दीप पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह नि0 सेवक पार्क थाना द्वारिका नई दिल्ली 2. करुणेश शर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा नि0 ओल्ड माधव नगर जनपद सहारनपुर के विरुद्ध कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 656/16 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (सीजेएम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. रमनदीप 2. करुणेश उपरोक्त को दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष के कारावास एवं 7,500-7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
विनोद कुमार



प्र0नि0 मॉनीटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



कोर्ट मुहर्रि उ0नि0
राजेन्द्र सिंह



कोर्ट पैरोकार
विजय राज

jalaunpolice

